



कार्यालय, प्राचार्य  
शासकीय महामाया महाविद्यालय  
रतनपुर

Special College  
Code - 2812

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

Website: www.gmcratanpur.ac.in;

Mob; 8959375247, Email: gmc\_ratanpur@rediffmail.com;

Chapora Marg, Ratanpur, Dist- Bilaspur (C.G.) 495442

क्रं. 794/स्था./2026

रतनपुर, दिनांक 16-02-26

दावा आपत्ति एवं निराकरण

कार्यालय आयुक्त, उ.शि. संचालनालय रायपुर का पत्र क्रं. 574/126/आउशि/राज.स्था./नवा रायपुर दिनांक 06/07/2024 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ-03-54/स्था./2020/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20/06/2024 एवं पत्र क्रं. 77/नि.स./स./उ.शि./2024 नवा रायपुर, दिनांक 12/07/2024 एवं कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर (छ.ग.) के विज्ञापन क्रं. 226/स्था./2026 रतनपुर दिनांक 03/02/2026 अनुसार विषय - वाणिज्य अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, हेतु आवेदन दिनांक 10/02/2026 को सांय 05:30 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे प्राप्त आवेदनों पर चयन समिति द्वारा सुक्ष्म जाँच कर अनंतिम मेरिट सूची जारी किया था जिसके संदर्भ में दिनांक 16/02/2026 तक दावा आपत्ती मंगाये गये थे। प्राप्त दावा आपत्तियों का चयन समिति द्वारा सघन जाँच कर निम्नलिखित निराकरण किया गया है जो इस प्रकार है :-

| क्रं. | आवेदक का नाम   | दावा आपत्ती                                 | दावा आपत्ती निराकरण   | रिमार्क   |
|-------|--|---|---|---|
| 01    | डॉ. हर्ष जैन, पिता श्री शेखर चन्द्र जैन बिलासपुर (छ.ग.)              | शोध पत्र का अंक मेरिट सूची में जोड़ने बाबत। | डॉ. हर्ष जैन, पिता श्री शेखर चन्द्र जैन आपके दावा आपत्ती पर निम्नानुसार निराकरण इस प्रकार है :-<br>1. फरवरी मार्च 2022 को प्रकाशित शोध पत्र को मान्य करते हुए 02 अंक मेरिट सूची में जोड़ा जाता है।<br>2. आपके अन्य शोध पत्र पी.एच.डी. उपाधी के दौरान प्रकाशित होना पाया गया है। | अतिथि व्याख्याता पॉलिसी 2024 के कंडिका 6.3 कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय के आदेश क्रं. 59/नि.स./आउशि/2024 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24/07/2024 के कंडिका क्रं. 02 शोध पत्रों पर अंक संबंधी उक्त पॉलिसी एवं आदेश के अनुरूप शोध पत्रों पर अंक पी.एच.डी./एम.फिल उपाधी के दौरान रिसर्च पेपर पर अंक प्रदान नहीं किया जाये उल्लेखित है। जिसके आधार पर पी.एच.डी. उपाधी के दौरान प्रकाशित रिसर्च पेपर पर कोई अंक प्रदान नहीं किया गया है। |
| 02    | डॉ. अमिता पाण्डेय, श्री दिनेश चन्द्र पाण्डेय सरकण्डा बिलासपुर (छ.ग.) | शोध पत्र का अंक मेरिट सूची में जोड़ने बाबत। | अमिता पाण्डेय, श्री दिनेश चन्द्र पाण्डेय आपके दावा आपत्ती पर निम्नानुसार निराकरण इस प्रकार है :-<br>1. आपका के द्वारा प्रकाशित शोध पत्र पी. एच.डी. उपाधी के दौरान प्रकाशित होना पाया गया है।  |   |

चयन समिति संयोजक

Principal  
Govt. Mahamaya College, Ratanpur  
Distt.-Bilaspur (C.G.)